



फोन/फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 1998 / 121 देहरादून, दिनांक 22-10, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 155/2018 के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/44583/2020

सन्दर्भ :-

उप निदेशक/उप वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून का पत्रांक 105/12-1, दिनांक 21-21-2020 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा (गढ़वाल) का पत्रांक 1798/9सी० दिनांक 25-06-2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०- 155/2018 के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी गढ़वाल टिहरी के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वांछित 0.51 है० भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लो०नि०वि० दुगड्डा को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जिसका उप निदेशक/उप वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 10-10-2020 को किया गया है। प्रस्ताव का विधिवत् परीक्षण उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण की (03) तीन हार्ड प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में राजाजी टाइगर रिजर्व के गोहरी रेंज अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि-0.51 है० वन भूमि प्रभावित होनी निहित है। बीन नदी में प्रस्तावित 200 मी० स्पांन डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण एवं एप्रोच मार्ग में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 19 वृक्ष (आरक्षित वन भूमि) प्रभावित /वाधित होने सूचित हैं। उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की (02) दो हार्ड प्रति (मूल में) संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक:- उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (02) प्रति)।

भवदीय

(डी०के०सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 1998/121/दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप निदेशक/उप वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड्डा (गढ़वाल)

(डी०के०सिंह)

निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

प्रपत्र-2.2

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

Proposal N0.- FP/UK/ROAD/44583/2020

- 1- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें। नहीं।
- 2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है। सहमत
- 3- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें। उप निदेशक की SIR, भाग-II एवं प्रस्ताव
में चस्पा प्रमाण-पत्रों के आधार पर जनहित
में संस्तुति की जाती है।

तिथि- 22-10-2020

स्थान-देहरादून।

हस्ताक्षर:

(डी०के०सिंह)

नाम और पदनाम

सहायक निदेशक मोहर

राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड